म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/नियमन/रबी उर्पाजन/पार्ट–4/1652, भोपाल, दिनांक 05/04/2019

प्रति,

1 संयुक्त/उप संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर/सागर/रीवा

2 भारसाधक/सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
.... म0प्र0 (समस्त)

विषयः—रबी विपणन मौसम 2019—20 में भण्डारण स्थल की कमी एवं बेहतर मण्डी व्यवस्था के संबंध मे।

प्रमुख सचिव, खाद्य विभाग से मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के अंतर्गत गेहॅू, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी उपार्जन वर्ष 2019—20 की प्रकिया प्रारंभ हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2019—20 में गेहॅू का संभावित उपार्जन 97 लाख मे0टन एवं दलहन का उपार्जन 13 लाख मे0टन संभावित है। उक्त गेहॅू एवं दलहन के भण्डारण के लिए वेअरहाउस कार्पोरेशन ने आवश्यकतानुसार गोदाम, सायलो, कैप आदि की व्यवस्था की गई है तथा इस वर्ष मे अप्रत्याशित संभावित उपार्जन के लिए अतिरिक्त रूप से कैप का निर्माण भी किया जा रहा है।

जिसके अनुक्रम मे प्रदेश की मण्डी समितियों में नियमन व्यवस्था को सुदुढ बनाये जाने हेतु मण्डीयों में निम्नानुसार व्यवस्था करे :—

1 कृषि उपज मण्डी समितियो के प्रांगण, उपमण्डी प्रागंण मे स्थित रिक्त गोदाम की संख्या, भंडारण क्षमता की जानकारी मध्यप्रदेश राज्य वेअरहाउसिंग एंव लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन को प्रदान करे।

2 नीलामी शेड/चबूतरे रिक्त हो, उन पर किसी भी व्यापारियो के अनाज बोरे न रखे जावे, अर्थात् प्रतिदिन शेड खाली कराये जावे।

3 मण्डी प्रांगण के प्लेटफार्म का उपयोग कृषि उपज विकय हेतु किया जाना है, यदि इस पर व्यापारियों द्वारा कय उपज भण्डारित पाई जाती है तो उसे तत्परता से रिक्त कराना सुनिश्चित किया जाये।

4 मण्डी प्रांगण मे छलनी, ग्रेड सुधारने हेतु यंत्र, माईश्चर मीटर, भोजन व्यवस्था (केन्टीन), बिजली, जनरेटर, तौल कांटो का सत्यापन, जल व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था से संबंधित समस्त कार्यवाही मण्डी सचिव तत्काल सुनिश्चित कर लेवे।

5 कृषि उपज मण्डी समितियो के प्रांगण, उपमण्डी प्रागंण मे स्थित गोदाम, शॉपकम–गोदाम, व्यापारी फड़ में निर्मित शैड एवं अस्थाई केप गोदाम की व्यवस्था कराई जाये। इस संबध में मण्डी स्तर पर उपरोक्त गोदाम दुरूस्ती योग्य हो तो, कार्यपालन यंत्री, आचंलिक कार्यालय तथा आवंटित मण्डी के सहायक यंत्री/उपयंत्री से प्रस्ताव तैयार कराकर उसको शीघ्र दुरूस्त करवाये।

उपरोक्तानुसार यदि किसी भी मंडी समिति मे गेहूँ, के दैनिक मॉडल भाव, समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल से कम होना पाया जाता है तथा किसानों की व्यवस्था हेतु गड़बड़ी पाई जाती है तो आंचलिक संयुक्त/उपसंचालको/कार्यपालन यंत्री का यह दायित्व होगा कि वह तत्काल इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये।

(फैज़ अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक सह–आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/नियमन/रबी उर्पाजन/पार्ट–4/1643 भोपाल, दिनांक 05/04/2019

प्रतिलिपिः–

1 कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।

2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।

3 प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय भोपाल की नोटशीट क्रमांक/887 दिनांक 02.04.19 के तारतम्य मे सूचनार्थ प्रेषित।

4. कलेक्टर, जिला..............................(समस्त)।

5. अपर संचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

6 प्रमुख अभियंता म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि मण्डीयों में भण्डारित "गेहूँ उर्पाजन की भण्डारण की व्यवस्था पर सतत रूप से मॉनिटिरिगं करे, तथा जिन मण्डीयों में शैड एवं गोदामों की मरम्मत के सबंध प्रस्ताव प्राप्त कर शीघ्र कार्रवाही की जाना सुनिश्चित की जाये।

प्रबंध संचालक सह–आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल